किसानों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर में कमी किया जाना

1642. **सरदार जगजीत सिंह अरोरा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाढ़ के कारण कृषि उत्पादन में हुई भारी हानि एवं कृषि उत्पादन की लागत में निरंतर हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋणों पर वर्तमान ब्याज की दर में कमी करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो किसानों को दिए गए ऋणों की वर्तमान ब्याज दर क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इन बैंकों द्वारा कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो किसानों को भी कम ब्याज दर पर ऋण न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फैलोरियो) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने कृषि ऋणों के वास्ते जो ब्याज दरें निर्धारित की हैं वे आमतौर पर उद्योगों के लिए दिए जाने वाले ऋणों की ब्याज दरों से कम हैं । हाल में अल्पावधि कृषि ऋणों के लिए ब्याज की दरों में बढ़ौती की गई है । 15,000/- रुपये तक के ऐसे ऋण लेने वाले किसानों को ब्याज दरों में इस बढ़ौती का लाभ हुआ है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

अल्पावधिक कृषि ऋण	ब्याज की दर (प्रतिशत वार्षिक)	
	फरवरी, 1988 के अन्त तक	1-3-1988 से प्रभावी
5,000/- रुपये तक	11.5	10.0
5,000/- रुपये से अधिक तथा 7,500/- रुपये तक	12.5	10.0
7,500/- रुपये से अधिक तथा 10,000/- रुपये तक	12.5	11.5
10,000/- रुपये से अधिक तथा 15,000/- रुपये तक	12.5 से 14.0	11.5

लगातार तीन वर्ष अथवा उससे अधिक सूखे से प्रभावित किसानों के मामले में बैंकों से यह कहा गया है कि वे चालू वर्ष (जुलाई, 1987-जून, 1988) में मूलधन तथा ब्याज की देय धनराशियों की वसूली, दो वर्ष अथवा अगले सामान्य वर्ष तक यदि यह पहले ही स्थगित कर दें । बैंकों को ऐसे मामलों में न तो दण्डात्मक ब्याज लेना चाहिए और न ही उनसे स्थगित बकाया राशियों के ब्याज पर ब्याज लगाना चाहिये । इसके अतिरिक्त, बैंकों द्वारा दिये गये अल्पावधिक ऋण के मामले में छोटे तथा सीमन्तिक किसानो द्वारा देय ब्याज की कुल रकम मूलधन से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

महाराष्ट्र कच्चा कपास (वसूली प्रसंस्करण और विपणन) अधिनियम, 1971 की अवधि का बढ़ाया जाना

1643. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :**
श्री प्रमोद महाजन :

क्या **वस्त्र** मंत्री 16 अगस्त, 1988 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2409 दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र कच्चा कपास (वसूली, प्रसंस्करण और विपणन) अधिनियम, 1971 की समय अवधि बढ़ाये जाने को आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर अब कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।]

औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के लिए बैंक ऋण

1644. **श्री राम नरेश यादव :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को ऋण प्रदान किए जाने को प्रोत्साहित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों में (1985, 1987 एवं 1988) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र में अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गई है ; और

(ग) इन वर्षों में दोनों क्षेत्रों से अलग-अलग कितना-कितना धन ऋण के भुगतान के रूप में वापस लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अन्यों के साथ-साथ, कृषि, कुटीर और ग्राम उद्योग, लघु उद्योग, छः वाहनों तक सड़क परिवहन, लघु व्यापार, व्यवसायी और स्व-रोजगार प्राप्त व्यक्ति शिक्षा, अनुसूचित जातियों/अनुसचित जन जातियों को 5,000/- रुपये तक आवास ऋण, 500 रुपये तक का उपभोग ऋण शामिल है । सरकारी क्षेत्र के बकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों में निरंतर वृद्धि हो रही है ।

(ख) दिनांक 31 दिसम्बर, 1985, 1986 और 1987 को कृषि और उद्योग क्षेत्र के नाम अग्रिमों की बकाया राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(राशि करोड़ रुपए)

	1985	1986	1987
कृषि उद्योग	8660	10166	11693
1. बड़े और मझौले उद्योग	14575	17161	19597
2. लघु क्षेत्र के उद्योग	7450	8723	10241

(ग) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित ऋणों की वापसी अदायगी के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती है । अलबत्ता, जून, 1986 और जून, 1987 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के सभी बैंको के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली की स्थिति नीचे दी गयी है :—

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	मांग	वसूली	मांग की तुलना में वसूली की प्रतिशतता
1986	3911	2211	56.6
1987	4468	2551	57.1